न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 10 /2016 जिला अलवर ।

1. मु. छोटा पुत्री भूरजी स्त्री सम्पत, जाति माली, उम्र 62 साल, निवासी रामबास, हाल वासी बहूपाडा, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर (राज.)
2. मु. भूरिया पुत्री भूरजी स्त्री हरसहाय , जाति माली, उम्र 68 साल, निवासी रामबास, हाल वासी नाहर खोहरा, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर (राज.)

अपीलान्टान

बनाम

1. ग्राम पंचायत रामबास जरिए सरपंच ग्रम पंचायत रामबास तहसील गोविन्दगढ, जिला अलवर (राज.)
2. पूरण पुत्र टीकम, जाति माली, उम्र 50 साल, निवासी रामबास, तहसील गोविन्दगढ, जिला अलवर (राज.)
3. इन्दरा पुत्री टीकम स्त्री रणवीर उम्र 47 साल जाति माली
4. रामवती पुत्री टीकम स्त्री कर्ण सिंह उम्र 43 साल जाति माली

   निवासीगण बडोली डहर तहसील पहाडी जिला भरतपुर (राज.)

5. चन्दा पुत्री टीकम स्त्री रमेश, उम्र 40 साल, जाति माली, निवासी बूढली तहसील नगर, जिला भरतपुर (राज.)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर
दिनांक 4.9.2015

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपस्थित –

1. वकील अपीलान्ट श्री विजय सिंह
2. रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई हाजिर नहीं

निर्णय

दिनांक 30.10.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर के निर्णय दिनांक 4.9.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि जमाबन्दी संवत 2066 से 69 ग्रम मुण्डपुरी, तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर स्थित आराजी खसरा नम्बर 371, 372 एवं 373 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा में से 1/2 हिस्से का खातेदार रतन लाल पुत्र नत्थु कौम माली था जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 127 ग्रम पंचायत रामबास द्वारा दिनांक 26.5.1984 को टीकम पुत्र रतन लाल के नाम स्वीकार किया गया ।

उक्त नामांतरकरण संख्या 127 दिनांक 26.5.84 से व्यथित होकर मृतक खातेदार रतन लाल के दूसरे पुत्र भूरजी की पुत्रियॉ छोटा व भूरिया द्वारा प्रथम अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर के समक्ष दिनांक 25.7.2005 को मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की, जिस पर उप खण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 4.9.2015 पारित किया कि " नामांतरकरण संख्या 127 द्वारा रतन लाल पुत्र नत्थु की विरासत टीकम के नाम स्वीकार दिनांक 26.5.84 को हुई एवं अपीलान्ट द्वारा अपील दिनांक 28.7.2005 को पेश की गई है इतने लम्बे समय के अन्तराल के पश्चात् अपील पेश करने का कोई तर्कसंगत कारण अपीलांट ने पेश नहीं किया और न ही अपीलांट द्वारा दिनांक 26.5.84 से 28.7.2005 की अवधि को अपील की अवधि में शुमार किये जाने हेतु मियाद कन्डोन कराने हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, न ही अपीलांट ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया है जिससे अपीलजांट का रतन लाल का वारिस होना साबित होता हो । उक्त आधार पर अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट इन्तकाल संख्या 127 वाके ग्रम मुडपुरी खुर्द खारिज की जाती है "।

उप खण्ड अधिकारी के उक्त निर्णय से व्यथित होकर मृतक खातदोर रतन लाल के दूसरे पुत्र की पुत्रियॉ छोटा व भूरिया द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर के निर्णय दिनांक 4.9.2015 व इन्तकाल सवंख्या 127 ग्रम मुंडपुरी खुर्द तहसील लक्ष्मणगढ निरस्त किये जाकर अपीलान्टान के नाम मृतक रतन लाल की विरासत में 1/2 भाग दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । बहस के दौरान रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से कोई हाजिर नहीं आये । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की एकपक्षिय बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दोरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार रतन लाल के दो पुत्र टीकम व भूरजी थे ओर अपीलान्ट्स भूरजी की जायन्दा पुत्रियॉ है । विवादित भूमि के खातदोर रतन लाल के फौत होनें पर विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण ग्रम पंचायत द्वारा रतन लाल के एक पुत्र टीकम के नाम स्वीकार कर दिया ओंर दूसरे पुत्र भूरजी को छोड दिया गया । प्रश्नगत नामांतरकरण की जानकारी होने पर अपीलान्ट्स द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करना अंकित करते हुये अपील खारिज करदी , जो विधिसम्यक नहीं है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने अपील के पैरा नम्बर 7 में मृतक रतन लाल का शजरा पेश किया था जिस शजरे का कोई खण्डन रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से नहीं किया गया था , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने

अपीलाधीन निर्णय में रतन लाल के वारिस होने बाबत साक्ष्य पेश नहीं करना अंकित कर अपील खारिज करना त्रुटिपूर्ण व विधि विरूद्ध है । उनका कहना था कि रतन लाल के दो पुत्र टीकम व भूरजी थे लेकिन भूरजी रतन लाल के जीवनकाल में ही फौत हो गये थे । अपीलान्ट्स भूरजी पुत्र रतन लाल की जायन्दा पुत्रियॉ हैं एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में विधिक वारिस है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय की दिनांक 4.9.2015 को ही अपीलान्ट्स के धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रार्थी की मूल अपील खारिज हो चुकी है । इसलियेः प्रार्थना पत्र दफा 5 को चलाने का कोई औचित्य नहीं है एवं प्रार्थना पत्र की कार्यवाही ड्रोप की गई । एक तरफ तो अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया गया है और दूसरी तरफ अपीलाधीन निर्णय में मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र पेश नहीं करना अंकित किया है जो विरोधाभाषी है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों का एवं दस्तावेजात को नजरन्दाज करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिसम्यक नहीं होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये जावे तथा विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा अपीलान्ट्स के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । प्रकरण में मुख्यतः विवाद विवादित भूमि के खातेदार रतन लाल के फौत होने पर उसकी विरासत के नामांतरकरण का है । ग्र्रम पंचायत ने रतन लाल की विरासत का नामांतरकरण टीकम पुत्र रतन लाल के नाम तस्दीक कर दिया जबकि अपीलान्ट्स मृतक खातदेार रतन लाल की दूसरे पुत्र भूरजी की पुत्रियॉ होने से रतन लाल की भूमि में हम चाहती है । अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय की दिनांक दिनांक 4.9.2015 को ही अपीलान्ट्स के धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रार्थी की मूल अपील खारिज हो चुकी है । इसलियेः प्रार्थना पत्र दफा 5 को चलाने का कोई औचित्य नहीं है एवं प्रार्थना पत्र की कार्यवाही ड्रोप की गई । दूसरी ओर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4.9.2015 में नामांतरकरण संख्या 127 द्वारा रतन लाल पुत्र नत्थु की विरासत टीकम के नाम स्वीकार दिनांक 26.5.84 होने एवं अपीलान्ट द्वारा अपील दिनांक 28.7.2005 को पेश किये जाने से इतने लम्बे समय के अन्तराल के पश्चात् अपील पेश करने का कोई तर्कसंगत कारण अपीलांट ने पेश नहीं करने और न ही अपीलांट द्वारा दिनांक 26.5.84 से 28.7.2005 की अवधि को अपील की अवधि में शुमार किये जाने हेतु मियाद कन्डोन कराने हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश करने, न ही अपीलांट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश करने जिससे अपीलांट का रतन लाल

का वारिस होना साबित होता हो । उक्त आधार पर अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य होने से अपील अपीलान्ट खारिज की गई, जो विरोधाभासी है । हम समझते हैं कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों की बिना जॉच किये एवं मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त भी उस पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना अपील को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है । हम समझते हैं कि मियाद का बिन्दु भी विधि का महत्वपूर्ण बिन्दु है जिस पर न्यायालय को परीक्षण कर अपना अभिमत व्यक्त करना चाहिये । यदि प्रकरण में विलम्ब के संबंध में कारण संतोषजनक हो तो विलम्ब को क्षमा कर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करना चाहिये अन्यथा विलम्ब के संबंध में कारण संतोषजनक नहीं हो तो प्रकरण मियाद बाहर होने से खारिज करना चाहिये , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफ तो मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र को अपील खारिज होने से इसे चलाने का कोई औचित्य नहीं मानते हुये कार्यवाही ड्रोप की है तथा दूसरी ओर अपीलाधीन निर्णय में मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जाना अंकित करना विरोधाभासी है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रकरण सर्वप्रथम उभयपक्षकारों को धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उस पर अपना अभिमत व्यक्त करते हुये पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परिणामतः अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर दिनांक 4.9.2015 त्रुटिपूर्ण व विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है तथा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण सर्वप्रथम उभयपक्षकारों को धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उस पर अपना अभिमत व्यक्त करते हुये पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय दिनांक दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर